न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 12–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 30–11–13 पारित आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 137/अ–6/2012–13 अपील.

1– श्रीमती कामिनी सिंह पत्नि अजय सिंह परमार,
निवासी गोपालगंज, सागर
2– श्रीमती शोभा उर्फ मोहिनी पत्नि महेशसिंह
निवासी गोपालगंज, सागर
3– श्रीमती उमा त्नि नरेन्द्रसिंह बुन्देला,
निवासी गड्ढा कालोनी, सागर
4 श्रीमती रमासिंह पत्नि उगेन्द्रसिंह राघव,
निवासी राघव एडवोकेट, जयपुर, राजस्थान

––– आवेदकगण

विरूध्द

1– श्रीमती कमलेश सिंह पत्नि स्व. घनश्यामसिंह
2– पर्णितासिंह पुत्री स्व. घनश्यामसिंह
दोनों निवासी सुभाषपुरम कॉलोनी, टीकमगढ़
म0प्र0

–– अनावेदकगण

श्री डी0के0 जैन, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 26.6.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त,

सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 137/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम समर्रा की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 11.152 हे0 घनश्यामसिंह पुत्र माधोसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। नामान्तरण पंजी क0 7 पर दिनांक 21–12–02 को हल्का पटवारी व्दारा यह प्रविष्टि दर्ज की गयी कि वर्तमान में कॉलम नं0 3 में वर्णित भूमि 11.152 हे0 घनश्यामसिंह आत्मज माधोसिंह ठाकुर के नाम अभिलेखों में दर्ज है परन्तु खातेदार ने अपना शपथपत्र दिनांक 20–12–02 में मेरे खाते की भूमि में मेरी निज बहिने श्रीमती कामिनीसिंह, श्रीमती शोभासिंह, श्रीमती उमासिंह, श्रीमती रमीसिंह को मेरे नाम के साथ जोड़ दिया जाय ताकि हम लोगों का उक्त खाते में बराबर–बराबर हिस्सा हो जावे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नामान्तरण पंजी पर सरपंच ग्राम पंचायत समर्रा के हस्ताक्षर हैं। तहसीलदार, टीकमगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 10–01–03 व्दारा नामान्तरण पंजी पर अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये।

3/ तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदकगण कमलेशसिंह पत्नि स्व. घनश्यामसिंह एवं पर्णितासिंह पुत्री स्व. घनश्यामसिंह व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16–10–12 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 6–5–13 व्दारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया। तत्पश्चात अपने आदेश दिनांक 24–05–13 व्दारा तहसीलदार का नामान्तरण पंजी में पारित नामान्तरण आदेश इस आधार पर खारिज किया कि प्रश्नाधीन भूमि घनश्यामसिंह जू देव पिता माधोसिंह ठाकुर के नाम दर्ज थी जिसका नागान्तरण बिना किसी पंजीबध्द दस्तावेज के नहीं किया जा सकता। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत व्दितीय अपील विव्दान आयुक्त,

सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 30–11–13 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ प्रकरण में दिनांक 18–6–14 को उभय पक्ष की बहस श्रवण करने के पश्चात श्री विकांतसिंह पिता स्व. घनश्यामसिंह व्दारा आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। विकांतसिंह के अभिभाषक का तर्क है कि विकांतसिंह स्व. घनश्यामसिंह का पुत्र होने से आवश्यक पक्षकार है, किन्तु उसे निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः उन्होंने आवेदनपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ प्रकरण के अभिलेखों से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी में पारित आदेश के विरूध्द अनावेदकगण श्रीमती कमलेशसिंह एवं पर्णितासिंह व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील में पारित आदेश के विरूध्द आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत व्दितीय अपील में भी विकांतसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही विकांतसिंह व्दारा पक्षकार बनने हेतु आवेदनपत्र अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसी दशा में बहस श्रवण करने के पश्चात निगरानी में पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

5/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमियॉ हैं। आवेदकगण स्व. घनश्यामसिंह की बहिने हैं। प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक भूमि होने से घनश्यामसिंह को बहिनों को भी नामान्तरण की पात्रता थी, इस कारण घनश्यामसिंह व्दारा शपथपत्र निष्पादित कर प्रश्नाधीन भूमि पर

आवेदकगण बहिनों को नाम स्वयं नामान्तरण पंजी में जुड़वाया गया। अनावेदकगण व्दारा घनश्यामसिंह के जीवनकाल में नामान्तरण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। घनश्यामसिंह की मृत्यु के पश्चात समयावधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार करने में त्रुटि की गयी है। उनका तर्क है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्र के समान पुत्रियों को भी पेत्रिक सम्पत्ति पर समान हक प्राप्त करने की अधिकारिता है, किन्तु इस ओर विव्दान आयुक्त व्दारा ध्यान नहीं देकर अपील खारिज करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि घनश्यामसिंह पुत्र माधोसिंह ठाकुर के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। अभिलिखित भूमिस्वामी घनश्यामसिंह व्दारा भूमि का अन्तरण किये बिना ही कथाकथित शपत्रपत्र, जो नामान्तरण पंजी में संलग्न नहीं होना, अपीलीय न्यायालयों ने माना है, के आधार पर तहसीलदार को नामान्तरण करने की अधिकारिता नहीं थी। शपथपत्र के आधार पर नामान्तरण पंजी में पारित नामान्तरण आदेश अधिकारिता रहित होने से शून्यवत है और ऐसे आदेश को समयावधि के आधार पर पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरण पंजी में पारित आदेश की जानकारी होने पर अनावेदकगण व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को माफ करने के लिये समयावधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 6–5–13 व्दारा स्वीकार किया है। आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनाक 6–5–13 के विरूध्द समक्ष न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये वह अंतिम हो चुका है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

7/ प्रश्नाधीन भूमि घनश्यामसिंह तनय माधोसिंह ठाकुर के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। नामान्तरण पंजी क0 7 पर दिनांक 21–12–02 को हल्का पटवारी व्दारा यह प्रविष्टि दर्ज की गयी कि वर्तमान में कॉलम नं0 3 में वर्णित भूमि 11.152 हे0 घनश्यामसिंह आत्मज माधोसिंह ठाकुर के नाम अभिलेखों में दर्ज है परन्तु खातेदार ने अपना शपथपत्र दिनांक 20–12–02 में मेरे खाते की भूमि में मेरी निज बहिने श्रीमती कामिनीसिंह, श्रीमती शोभासिंह, श्रीमती उमासिंह, श्रीमती रमासिंह को मेरे नाम के साथ जोड़ दिया जाय ताकि हम लोगों का उक्त खाते में बराबर–बराबर हिस्सा हो जावे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रविष्टि को तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–01–03 व्दारा स्वीकार किया है। नामान्तरण पंजी में अभिलिखित भूमिस्वामी घनश्यामसिंह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पंजी में नामान्तरण प्रमाणीकृत करने के पूर्व उसे सूचनापत्र तामील किया जाना विदित होता है। शपथपत्र भी नामान्तरण पंजी में चस्पा नहीं है। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) तथा नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार नामान्तरण के पूर्व हितग्राही व्यक्तियों पर सूचनापत्र की तामीली आवश्यक है। इस प्रकरण में घनश्यामसिंह के शपथपत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा गया था, इस कारण शपथपत्र निष्पादन की सत्यता हेतु घनश्यामसिंह पर सूचनापत्र की व्यक्तिशः तामीली अनिवार्य थी, किन्तु तहसीलदार ने शपथपत्र निष्पादन की जॉच किये बिना ही पंजी में नामान्तरण किया गया है जो संहिता के प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है। संहिता की धारा 109 में यह प्रावधान है कि –

"कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार का हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने व्दारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगा।"

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। आयुक्त, सागर संभाग का आदेश दिनांक 30–11–2013 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24–05–13 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0